

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

विपक्षी

मुकदमा

डा. पत्र

पत्रावली संख्या 109/24 सन


कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गई

17.12.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना अधिवक्ता उपस्थित नहीं
हुए। प्रकरण का मूलवाद आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज
हो जाने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं
रहती है।

अति: प्रार्थना का आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम्य सखी
अदम्य सखी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेरेडजलाख सुनाया
गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(अबुला क़ादिर ख़ान)
DAS